विधानसभा प्रश्न क्रमांक 38 भारांकित [28/12/2022] 6C - 1

प्रश्न सं. [क्र. 38]

सत्यमेव जयते

परिचालन दिशानिर्देश

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना
(पीएमएफबीवाई)

(संशोधित)

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि भवन, नई दिल्ली -110001

माध्यम से आकलित उपज के बीच महत्वपूर्ण संबंध देखा जाता है तो राज्य और बीमा कंपनियां दावों की आपूर्ति के लिए आईयू स्तर पर फसल उपजों के आकलन में इन तकनीकों का उपयोग कर सकती हैं जो उपज आंकलनों की सटीकता के बारे में राज्यों और बीमा कंपनियों दोनों की संतुष्टि के अधीन होगा।

20.4 **उपज आंकड़ों की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार करना।**

20.4.1 यह देखा गया है कि उपज के आकलन के लिए राज्यों द्वारा अनुसरण की जा रही सामान्य सीसीई प्रक्रिया में विश्वसनीयता, सटीकता और गति की कमी है जो दावों के निपटान को प्रभावित करती है। वास्तविक समय (रियल टाइम), अच्छी गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय वास्तविक उपज आंकड़ों की जरूरत है जिसके लिए तस्वीरे लेने, सीसीई के स्थान और सीसीई एग्री ऐप के माध्यम से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर आंकड़ों के ऑनलाइन ट्रांसमिशन के लिए स्मार्टफोन/हाथ से इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाना है। उपग्रह और ड्रोन, मौसम आंकड़ों, मॉडल इत्यादि का उपयोग करके आरएसटी और सीसीई के माध्यम से उपज आकलन की सटीकता और गति बढ़ाने के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है।

20.4.2 सीसीई प्रक्रिया के संचालन के लिए प्रौद्योगिकी आदि का उपयोग करने की लागत, विशेष रूप से स्मार्ट फोन/हाथ से प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों और तकनीकी (आरएसटी, ड्रोन इत्यादि) के खरीद पर केंद्र सरकार और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा 50:50 आधार पर साझा किया जाएगा । जहां भी आवश्यक हो, केंद्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध उपकरण, स्मार्टफोन और अन्य सम्बन्धित लागतों (आरएसटी, ड्रोन, आदि) की अनुमानित लागत के आधार पर, कुल धनराशि के तहत वित्तीय सीमा में उपलब्ध कराया जाएगा ।

20.5 प्रौद्योगिकी कोष : भारत सरकार द्वारा एक प्रौद्योगिकी कोष का सृजन किया जाएगा जिसमें भारत सरकार के 5 प्रतिशत अंशदान/ राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य विभिन्न तकनीकी हस्तक्षेप हेतु 100 प्रतिशत अनुदान को पूरा करने के लिए संसाधन आवंटित किए जाएंगे। इस कोष को एसीएफ लागू होने के कारण बीमा कम्पनी द्वारा सौपा गया किसानों का अतिरिक्त प्रीमियम अंशदान, और अनुलग्नक-2 में विनिर्दिष्ट मापदण्डों के अनुसार बीमा कम्पनियों द्वारा खराब प्रदर्शन के कारण बीमा कम्पनियों पर लगाए गये जुर्माने से संवर्धित किया जाएगा ।

21. दावों का मूल्यांकन

21.1 **व्यापक आपदाएं**

21.1.1 यदि बीमित मौसम में बीमा इकाई के लिए बीमित फसल की प्रति हेक्टेयर 'वास्तविक उपज' (सीसीई की अपेक्षित संख्या के आधार पर आकलित) विनिर्दिष्ट 'थ्रेसहोल्ड उपज' (टीवाई) से कम होती है तो उस परिभाषित क्षेत्र में उस फसल को उगाने वाले सभी बीमित किसानों को

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि वि...
संचालनालय भोपाल (म.प्र.)

पत्रि/1/3

समानरूप से उपज़ मे कमी का सामना करता हुआ माना जाता है। पीएमएफबीवाई ऐसी आकस्मिकता से बचने के लिए कवरेज प्रदान करता है। बीमित इकाई स्तर पर 'दावे' की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाएगी:

(थ्रेसहोल्ड उपज - वास्तविक उपज) X बीमित राशि
थ्रेसहोल्ड उपज

जहां एक अधिसूचित बीमा इकाई में फसल के लिए थ्रेसहोल्ड उपज (टीवाई) उस मौसम के पिछले सात वर्षों में से सर्वोत्तम 5 वर्षों की औसत उपज और उस फसल के लिए लागू क्षतिपूर्ति स्तर का गुणनफल होती है।

21.1.2 **उदाहरण**

तालिका-7 थ्रेसहोल्ड उपज टीवाई की गणना

निम्नांकित तालिका में गत 7 वर्षों की गेहूं की अनुमानित उपज को 'x' की बीमा इकाई क्षेत्र के लिए को दर्शाया गया है। रबी 2014-15 के लिए टीवाई की गणना दर्शायी गई है।

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
उपज (किग्रा./हे0)	4500	3750	2000	4250	1800	4300	1750

वर्ष 2012-13 और वर्ष 2014-15 में सबसे कम उपज हुई है।

7 वर्षों की कुल उपज 22350 किग्रा/हे. और दो वर्षों की न्यूनतम उपज 3550 किग्रा/हे. अर्थात (1800+1750) है। इसलिए प्रावधान के अनुसार दो न्यूनतम उपज वाले वर्षों को छोड़कर सर्वोत्तम पांच वर्षों का औसत (22350-3550=18800/5) अर्थात् 3760 किग्रा/हे. होगा। इसलिए, क्षतिपूर्ति स्तरों के 90 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 70 प्रतिशत पर थ्रेसहोल्ड उपज क्रमशः 3384 किग्रा/हे., 3008 किग्रा/हे. और 2632 किग्रा/हे. होगी।

21.2 **मध्यावधि मौसमी आपदा के कारण दावों का ऑन एकाउंट भुगतान।**

21.2.1 फसली मौसम के दौरान विपरीत मौसमी परिस्थितियों जैसे, बाढ़, दीर्घकालीन सूखा अवधि, अत्यधिक सूखा इत्यादि की दशा में, जिसमें मौसम के दौरान अनुमानित उपज सामान्य उपज से 50 प्रतिशत से कम रहने की संभावना है। किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा।

21.2.2 **पात्रता मापदंड**

21.2.2.1 सभी अधिसूचित बीमा इकाईयां "ऑन एकाउंट" भुगतान के लिए केवल तभी पात्र मानी जाएंगी जब मौसम के दौरान प्रभावित फसल की अनुमानित उपज सामान्य उपज से 50 प्रतिशत से कम होगी।

परिशिष्ट - 1

कुल पृष्ठ - 3

अनुभाग अधिकारी (2)
मध्य प्रदेश शासन,
कृषि विभाग, मंत्रालय, भोपाल,

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
संचालनालय भोपाल (म.प्र.)